# Vision of District Churu@2047

# ऊर्जा विभाग

- घर घर पर सोलर रूफ टॉप से बिजली उत्पादन
- हर कृषी पंप पर सोलराइजेशन
- सोलर जनरेशन प्लान्ट लगाकर ट्रान्समिशन की लागत व होने वाले नुकसान को कम करना
- थर्मल जनरेशन पर निर्भरता कम करना ताकि कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सके।
- पुराने बिजली तंत्र को भविष्य की मांग के अनुसार सुदृढ़ बनाना
- सभी उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड़ मीटर लगाना।
- उच्च मांग के समय Renewable/ Hydal generation का उपयोग करना।

# ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

- ग्रामवासियों को सभी सरकारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने हेतु मिनी सचिवालय स्थापित करना।
- ग्रामवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हर घर में नल योजना के माध्यम से पेयजल आपुर्ति करना।
- सभी गांवों में स्वच्छता हेतु गंदे पानी की समुचित निकासी हेतु नालियों का निर्माण करा गंदे पानी का समुचित निपटान करना/ कृषि कार्यो में उपयोग करना।
- चारागाह भुमि को अतिक्रमण मुक्त कर वृक्षारोपण कार्य कराना।
- गांवों में उपलब्ध वन उपज एवं अन्य संसाधनों के विपणन हेतु हाट बाजार विकसित कर ग्रामवासियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना।

# ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

- आवास विहिन परिवारों को सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराना।
- सभी गांवों में शहरों की तरह सुविधां उपलब्ध कराने हेतु मास्टर प्लान तैयार कर गांव का विकास करना।
- ग्रामवासियों को स्वास्थ्य सुविधा के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम चलाना।
- सभी गांवों में प्रकाश की व्यवस्था हेतु सोलर स्ट्रीट लाईट लगाना।

# कृषि विभाग

## वर्षा जल संग्रहण एवं इसका कुशलतम उपयोग

- प्रत्येक कृषक के खेत पर वर्षा जल संग्रहण इकाई का निर्माण कार्य करना।
- प्रत्येक फार्म पौण्ड पर सौलर वाटर पम्प की स्थापना करना।
- प्रत्येक खेत में ड्रिप एवं फव्वारा संयत्र से सिचांई कार्य करना।

# कृषि विभाग

## मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन

- जिले में प्रत्येक खसरे का मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाना।
- शत प्रतिशत किसानों द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर कम्पोस्ट, गोबर की खाद, वर्मी कम्पोस्ट व उर्वरकों का उपयोग करना।

## मानक बीज प्रतिस्थापन दर प्राप्त करना

- स्व परागित फसलों में –33%
- प्राय: पर परागित फसलों में –50 %
- संकर किस्मों के बीज में –100 %

## उपलब्ध संसाधनों के आधार पर फसल विविधिकरण

- जिले के 20 प्रतिशत क्षेत्रफल पर उद्यानिकी बगीचों की स्थापना
- खरीफ में मूंगफली व कपास फसलों की स्थान पर मूंग, मोंठ, चवला, ग्वार फसलों का क्षेत्रफल बढाना
- रबी में गेहूं फसल की स्थान पर सरसों, चना, जौ फसलों का क्षेत्रफल बढाना।
- पंच गौरव – ग्वारपाठा जिले के एक प्रतिशत क्षेत्रफल में बुवाई करवाना।

# कृषि विभाग

## ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रो ट्यूरिजम

- एग्रो ट्यूरिजम के क्षेत्र में जिले की पहचान बनाना
- जिले के युवाओं एवं प्रगतिशील किसानों की आय का साधन बनाना

## प्रसंस्करण इकाईयों को स्थापित करना

- मूंग, मोठ, ग्वार, चना, सरसों की फसल आधारित उद्योग लगाना
- इसबगोल, ग्वारपाठा इत्यादि औषधिय फसल आधारित उद्योगों की स्थापना
- स्थानीय स्टार्टप को बढ़ावा देना

## जैविक खेती को अपनाना

- जिले के कृषि योग्य क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत जैविक खेती में परिवर्तित करना
- मूंग, मोठ, चना, सरसों जैसी फसलों का जैविक उत्पादन बढाना।
- प्रत्येक किसान के फार्म पर कम्पोस्ट व वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के स्ट्रक्चर की स्थापना करवाना।
- सांगरी, कैर, फोग के प्राकृतिक उत्पादों की जैविक पहचान प्राप्त करना।

# कृषि विभाग

## फसल सुरक्षा के लिए नाशीजीव प्रबंधन

- समन्वित नारशीजीव प्रबधंन को खेती में अंगीकार करना
- नाशीजीव निवारक उपायों का अधिकतम उपयोग
- जैविक कीटनाशी पदार्थों के उपयोग को प्राथमिकता
- रसायनिक कीटनाशी का अंतिम विकल्प के रूप में ही उपयोग

## हाई टैक कृषि

- पॉली हाउस, शैड नेट, लौ टनल, मल्चिंग
- जिले के कृषि योग्य क्षेत्रफल के 5 प्रतिशत क्षेत्र में सब्जियों की खेती करना
- प्रिसिजन खेती को बढ़ावा देना
- समस्त कृषकों को कृषि यंत्रों को अनुदान पर उपलब्ध कराते हुए 100 प्रतिशत कृषि यंत्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना तथा कृषक मित्रों द्वारा ज्यादा से ज्यादा कृषकों को आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करवाना।

# खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले

- आवश्यक वस्तु अधिनियम में पेट्रालियम पदार्थो के अवैध व्यापार, काला बाजारी के लिये विभाग में जिला स्तर व पूरे जिले में केवल जिला रसद अधिकारी अधिकृत है। चूंकि उस कार्यवाही के लिये अधिकारी का राजपत्रित होना आवश्यक है। अतः प्रवर्तन अधिकारी के पद को राजपत्रित किया जावे ताकि प्रभावी रूप से कार्यवाही सपन्न हो सके।
- बी.पी.एल सर्वे पुनः होना चाहिये। नये सर्वे से अपात्र लोग इस योजना से हट जायेगे व पात्र लोगों को इस योजना से जोडा जा सकेगा।
- उचित मूल्य की दुकान पर गेंहू के अलावा अन्य आवश्यक वस्तुयें भी सःशुल्क/नियत मूल्य के लिये विक्रय के लिये उपलब्ध करवायी जावे। इससे उपभोक्ताओं को उचित दर पर खाद्यान्न सामग्री मिलेगी तथा साथ ही उचित मूल्य दुकानदार की आय भी बढेगी।

# शिक्षा विभाग

- अनामांकित एवं ड्रापआउट बच्चों को शत प्रतिशत विद्यालयों से जोड़ना । ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक छात्र अनुपात के मानक का अनुसरण करना ।
- डिजिटल शिक्षण में वृद्धि करना तथा स्मार्ट क्लासरूम उपलब्ध करवाना ।
- निःशुल्क पाठ्यपुस्तक का ऑफलाईन वितरण के स्थान पर डिजिटल वितरण ताकि बच्चे के बैग का भार कम हो सके।
- अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषाओं के साथ–साथ क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण को प्राथमिकता देना।

# शिक्षा विभाग

- आधारभुत ढ़ाचे को बेहतर करना यथा इन्टरनेट सुविधा, खेल मैदान, चारदिवारी, उपलब्ध
- कक्षा कक्ष हेतु फर्नीचर, पुस्तकालय एवं संबंधित सुविधाएं ।
- शैक्षणिक गतिविधियों की भांति खेलकूद को प्राथमिकता देना साथ ही खेलकूद का
- व्यावसायीकरण करना ।
- थीम पर आधारित शिक्षण अर्थात बच्चे की रूचि के अनुसार शिक्षण को प्राथमिकता देना ।
- संकुल विद्यालय अर्थात कम नामांकन वाले एक ही स्थान पर स्थित विद्यालयों को मर्ज कर
- समुचित आधारभूत सुविधाओं एवं परिवहन व्यवस्था वाले विद्यालयों का गठन करना

# कोषालय प्रणाली

- कोष कार्यालय में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी निगरानी प्रणाली से पेंशनरों/परिवारिक पेंशनरों की समस्याओं/जीवन प्रमाण–पत्र एवं अन्य सूचनाओं का त्वरित गति से निस्तारण।
- ई–ट्रेजरी सिस्टम विकसित करना, जिससे प्रतिदिन आय एवं व्यय का लेखा त्वरित संधारित किया जा सके।
- ई–भुगतान एवं प्राप्तियों तथा उपापन हेतु सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली के आधार पर बिना भ्रष्टाचार पारदर्शी तरीके से कार्य संपादित हो।

# महिला एवं बाल विकास विभाग

- आंगनबाडी केन्द्र से वंचित राजस्व गांवो में नियमानुसार नवीन आंगनबाडी केन्द्र स्वीकृत कर संचालित करने का प्रयास किया जायेगा।
- विभागीय भवनों से वंचित आंगनबाडी केन्द्रों के भवनों का निर्माण करवाया जायेगा।
- सभी आंगनबाडी केन्द्रों पर बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य की दृष्टि से नवीनतम तकनीकी नवाचारों से लाभान्वित करने का कार्य किया जायेगा।
- सभी आंगनबाडी केन्द्रों को शुद्ध पेयजल एवं शौचालय सुविधाओ से युक्त किया जायेगा।
- सभी विभागीय भवनों का विद्युतीकरण किया जाकर नवीनतम तकनीकी से जोडा जायेगा।
- कुपोषण के निवारण हेतु राष्ट्रीय पोषण अभियान अन्तर्गत नवीनतम दैनिक, साप्ताहिक भिन्न – भिन्न रेसीपी अनुसार पौष्टिक आहार उपलब्ध करा बच्चो को कुपोषण मुक्त कराया जायेगा।

# महिला एवं बाल विकास विभाग

- सभी विभागीय भवनों में संचालित आंगनबाडी केन्द्रों को नन्दघर में विकसित किया जायेगा।
- सभी राजकीय योजनाओं की पहुंच सभी पात्र लाभार्थियों तक सुगम व और आसान बनाने के लिए वर्तमान में संचालित ऑनलाईन प्लेटफॉर्म यथा पोषण ट्रेकर, पोषाहार कार्यक्रम, टिकाकरण कार्यक्रम को बायोमेट्रिक युक्त करने का प्रयास किया जायेगा। जिससे कोई भी पात्र लाभार्थी वंचित नहीं रहे।

# श्रम विभाग

- निर्माण श्रमिकों का पंजीयन संख्या बढाना ताकि उन्हें योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके।
- विभागीय कार्यो परिवेदनाओं का ऑनलाईन मॉड्यूल में निस्तारण कार्य।
- अर्द्धन्यायिक कार्यो जिन्हें मेन्यूअली संधारित किया जाता हैं, को ऑनलाईन प्रक्रिया में परिवर्तित करने की दिशा में कार्य करना।
- निरीक्षण, प्रवर्तन का कार्य ऑनलाईन संधारित करना।
- श्रमिकों को लाभान्वित की जाने वाली योजनाओं का ऑनलाईन ही निस्तारण कार्य किया जाएगा, ताकि अधिकाधिक लाभान्वित किया जा सकेगा।

# उद्योग विभाग

- **एमएमएई को प्रोत्साहनः–** केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा एमएसएमई इकाईयों के लिये संचलित योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार कर जिलें में खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण, हैण्डीक्राफ्ट आदि से संबंधित उद्यमियों को नवीन उद्यम की स्थापना एवं स्थापित उद्यम के विस्तार हेतु लाभ प्रदान करना।
- **निर्यात संवर्द्धनः–** जिले में स्थापित इकाइयों को निर्यात दस्तावेजीकरण और प्रक्रियाओं की सुलभ जानकारी प्रदान करना। जिले में एक जिला एक उत्पाद के रूप में वुडन उत्पाद का चयन किया गया है अतः जिले को एक्पोर्ट हब के रूप में विकसित करना।
- **सोलर पावर प्रोडक्शन संबंधित इकाईयों को बढावा देनाः–** भौगोलिक दृष्टि सें जिला सौर उर्जा उत्पादन की विपुल संभावनाए रखता है। विभागीय योजनाओं के माध्यम से सौर उर्जा से संबंधित इकाइयों को प्रि–प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन के योजनानुसार लाभ प्रदान करना।

# उद्योग विभाग

- **दस्तकारों की हैण्डहॉल्डिंग:–** परंपरागत दस्तकारों को योजनाओं के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण, अनुदान युक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना तथा मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने वाले दस्तकारों को स्टॉल रेन्ट एवं यात्रा भत्ता पुनर्भरण कर सहायता उपलब्ध करवाना।
- राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान चूरू जिले में निवेशकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किये गये एमओयू को निरन्तर फोलोअप एवं मॉनिटरिंग के माध्यम से धरातल पर लाया जाने का प्रयास कर जिलें के औद्योगिक विकास को बढावा देना।

# परिवहन विभाग

- जिले में मोटर व्हीकल अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर स्मार्ट सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के माध्यम से जुर्माना एवं चालान की स्वचालित प्रक्रिया को अपनाना।
- वर्तमान में मालवाहक वाहनों के चालान हेतु मैन्युअल व्यवस्था को ऑटोमैटिक चालान व्यवस्था में परिवर्तित करना ताकि लॉजिस्टिक लागत में कमी लाई जा सके।

# महिला अधिकारिता विभाग

- बाल लिंगानुपात विषमता को दूर करना।
- जेण्डर असमानता को दूर करना।
- बालिका शिक्षा को शत प्रतिशत सुनिश्चित करना।
- महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में कमी के प्रयास।
- आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास।
- बालिकाओं व महिलाओं के स्वास्थ्य व पोषण के स्तर में वृद्धि के प्रयास।
- घरेलू हिंसा के प्रकरणों में कमी के प्रयास।

# सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंच सुनिश्चित करना, ताकि अधिकाधिक सामाजिक न्याय की अवधारणा को धरातल पर मूर्तरूप दिया जा सके।
- विशेष योग्यजनों के लिए Eco Friendly System का विकास एवं मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाना ताकि विशेष योग्यजन व्यक्तियों की समस्याओं एवं होने वाली असुविधाओं का सरलीकरण हो सके।
- वरिष्ठ नागरिकों हेतु डोर–टू–डोर सर्विस उपलब्ध कराना ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा एवं चिकित्सीय सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
- बच्चों के लिए सुरक्षित एवं Child Friendly Infrastructure Develop करना।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की राज्य सरकार द्वारा द्वारा संचालित विविध जन कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- उपरोक्त समस्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभागीय योजनाओं का विशेष अभियान यथा–प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग कर व्यापक प्रचार प्रसार करना एवं योजनान्तर्गत पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करवाना।

# धन्यवाद